वर्ष 2024–25 में मा0 आयोग द्वारा निस्तारित कतिपय शिकायती प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण

- **श्रीमती गुडडी अंसारी, प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0वि0, ओखलाढूंगा, कोटाबाग, नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थिनी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थिनी के पुत्र जेरे इलाज चल रहा है। प्रार्थिनी द्वारा 14 वर्ष दुर्गम में सेवा दी जा चुकी है। प्रार्थिनी शिक्षा विभाग में कई आवेदन कर चुकी है, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिस हेतु प्रार्थिनी द्वारा अपने पुत्र का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराते हुए प्रमाण–पत्र निर्गत कर वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में ही स्थानान्तरण कराये जाने के साथ–साथ पुत्र की गम्भीर बीमारी के ईलाज के लिए वर्तमान में रा0प्रा0वि0, खताड़ी, रामनगर में सम्बद्ध किये जाने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में आयोग द्वारा तत्काल अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षार्थ/सुरक्षार्थ मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल को प्रार्थिनी की उक्त स्थिति के दृष्टिगत प्रार्थिनी श्रीमती गुडडी अंसारी के पुत्र का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के साथ ही निदेशक, प्रा0शि0 विभाग, देहरादून को प्रार्थिनी श्रीमती गुडडी अंसारी के पुत्र की गम्भीर बीमारी के दृष्टिगत प्रमाण–पत्र को सहानुभूतिपूर्वक वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में सम्मिलित करते हुए स्थानान्तरण की कार्यवाही किये जाने तथा तब तक प्रार्थिनी श्रीमती गुडडी अंसारी के पुत्र की बीमारी के ईलाज हेतु प्रार्थिनी श्रीमती गुडडी अंसारी को रा0प्रा0वि0, खताड़ी, रामनगर में एक सप्ताह के अन्दर सम्बद्ध किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में शिक्षा विभाग द्वारा प्रार्थिनी की वर्तमान में आयु 55 वर्ष पूर्ण हो जाने के दृष्टिगत शासनादेशानुसार स्थानान्तरण में छूट प्रदान करते हुए प्रार्थिनी को वर्तमान में सम्बद्ध विद्यालय में ही तैनात कर समस्या का समाधान किया जा चुका है।

- **श्रीमती भूपिन्दर कौर, पत्नी स्व0 श्री परमजीत सिंह, निवासी–नियर डिग्री कॉलेज, नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरणः–**शिकायतकर्ती द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थिनी के पुत्र गगनदीप सिंह का विवाह हेमा जोशी उर्फ हरलीन कौर के साथ हुआ। विवाह उपरान्त दोनों को एक पुत्र भी है, किन्तु आपसी विवाद के कारण दोनों का विवाह मा0 परिवार न्यायालय, हल्द्वानी के आदेशानुसार विच्छेदित हो गया। मा0 न्यायालय द्वारा पुत्र को पिता गगनदीप को सौपा गया तथा हेमा जोशी उर्फ हरलीन कौर को अपने पुत्र से मिलने के आदेश भी दिये, जिसके चलते हेमा जोशी उर्फ हरलीन कौर मिलने के बयाने रात्रि में नशे की हालत में जबरदस्ती घर में घुसकर परिवारवालों के साथ अभद्र अपशब्दों का प्रयोग कर प्रार्थिनी के पौत्र को अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगी, जिसकी सूचना रात्रि में ही प्रार्थिनी द्वारा कोतवाली हल्द्वानी में दी गयी, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि पुलिस द्वारा प्रार्थिनी की पुत्र वधु की शिकायत पर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पुत्र/पुत्री पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर धमकाया गया, जिससे प्रार्थिनी पुलिस के उक्त कृत्य से अत्यन्त श्रुब्ध है, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षार्थ/सुरक्षार्थ प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल को जांच कराते हुए नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही किये जाने के साथ ही मा0 परिवार न्यायालय के आदेश के क्रम में विपक्षी हेमा जोशी को अपने बच्चे से मिलने हेतु सूचना देते हुए अन्य स्थान/थाने में मिलाने की नियमानुसार गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।

- **श्रीमती गुलनाज सैफी, स0अ0 रा0प्रा0वि0, जयपुर बीसा, विकासखण्ड–हल्द्वानी–नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** शिकायतकर्ती द्वारा मा0 आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गयी थी कि प्रार्थिनी सहायक अध्यापिका के पद पर रा0प्रा0वि0 जयपुर बीसा, हल्द्वानी में कार्यरत है तथा अनिवार्य

स्थानान्तरण 2024–25 में सुगम से दुर्गम में होने के आदेश के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत धारा 09 सुगम से दुर्गम में बनाई गई रिक्त पदों की सूची शिक्षा विभाग द्वारा जिले स्तर पर पोर्टल पर दर्शायी गयी थी, किन्तु काउन्सिंल की नियत तिथि को विभाग द्वारा रिक्त पदों की सूची और पोर्टल पर अपलोड सूची से भिन्न व अलग थी, प्रार्थिनी ने लगभग दो वर्ष पूर्व दो जुडवां बच्चों को जन्म दिया है, जो काफी छोटे है, जिन्हें मां की आवश्यकता है तथा प्रार्थिनी के घुटनों में गठिया की बीमारी है तथा जहां स्थानान्तरण किया गया है, वह काफी जंगल का पैदल रास्ता है, जहां कोई भी वाहन नहीं जा सकता है, जिस हेतु प्रार्थिनी के स्थानान्तरण को रोकते हुए पद रिक्त स्कूल डौलीखत्ता एवं स्यूडा आवंटित किये जाने हेतु न्याय की गुहार लगाई गयी है। जिसके क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, देहरादून को पत्र प्रेषित कर प्रार्थिनी के देयकों के भुगतान से संबंधित वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.09.2024, के द्वारा प्रार्थिनी की समस्या का समाधान करते हुए मा0 आयोग को आख्या उपलब्ध करायी गयी।

- **श्री फतेह आलिम, पुत्र श्री अली हसन, निवासी–जीवनगढ़ अम्बाड़ी, विकासनगर, जिला–देहरादून के शिकायती <u>प्रकरण का विवरणः–</u>** शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत जीवनगढ़ एक अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्राम पंचायत है। प्रार्थी की पत्नी कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख, विकासनगर द्वारा माह ई, 2024 में खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासनगर को एक शिकायती पत्र आर0टी0आई0 के अन्तर्गत ब्राइट एंजेल्स सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, जीवनगढ़ में किये गये बाहरी पंचायतों के प्रवेशों को निरस्त कर जीवनगढ़ ग्राम पंचायत के बच्चों को प्रवेश के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु दिया गया था, जिस पर कोई स्पष्ट जवाब न देते हुए गलत प्रवेशों पर कोई कार्यवाही करने से इन्कार किया गया है, जिससे जीवनगढ़ में निवासरत् अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब बच्चे उक्त योजना से लाभान्वित नहीं हो पाये है, जिस हेतु बाहरी बच्चों के प्रवेशों को निरस्त कर मो0 अरहम और जीवनगढ़ ग्राम के बच्चों को प्रवेश देने हेतु कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में मा0 आयोग स्तर से अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षोपाय/सुरक्षार्थ हेतु त्वरित कार्यवाही कर जांच कराते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून को दिये गये। जिस पर मा0 आयोग को प्राप्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून के पत्र सं0–16140–41 दिनांक 10.10.2024, के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासनगर को मो0 अरहान का प्रवेश आर.टी.ई. के अन्तर्गत उनके द्वारा आवेदन में चयनित विद्यालय ब्राइट एंजेल्स स्कूल में एक सप्ताह के अन्तर्गत करावते हुए आख्या मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। वर्तमान में मा0 आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया गया।

- **श्री अनिल कुमार जैन व श्री जे0डी0जैन, निवासी–24 पंचशीला पार्क चकराता रोड़, देहरादून के शिकायती <u>प्रकरण का विवरणः–</u>**शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गयी थी कि प्रार्थी के भवन को वर्ष 2017 में जीवन रक्षक नशा मुक्ति आश्रम को किराये के रूप में दिया था, उक्त भवन को निजी प्रयोग के लिए प्रार्थी को आवश्यकता है, जिस हेतु प्रार्थी पिछले लगभग 2 वर्षों से उक्त भवन को खाली के करने का अनुरोध कर रहा है, किन्तु न तो भवन खाली कर रहे है तथा न ही किराया दे रहे है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा अपने उक्त भवन को खाली कराये जाने के साथ–साथ बकाया किराये की धनराशि दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में मा0 आयेाग द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को यथाशीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही कर समस्या का समाधान किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही कर अवगत कराया गया कि दोनों पक्षों का आपसी सहमति के अनुसार आवासीय सम्पत्ति को विलम्बतः 10.08.2024 को निश्चित रूप से खाली कर उसका भौतिक कब्जा प्रथम पक्ष को सौप दिया जायेगा। अतः वर्तमान में शिकायतकर्ता

की समस्या का समाधान हो गया है। कि शिकायतकर्ती श्रीमती गुलशन, सहा0अ0 वर्तमान में रा0उ0प्रा0वि0 गौजाजाली, विकासखण्ड हल्द्वानी में तैनात है, जो यथावत् सेवानिवृत्त तक बनी रहेगी।

- **श्री केसर अली, निवासी–संजय कालोनी, पंतनगर, जिला–ऊधमसिंहनगर के शिकायती प्रकरण का विवरणः–**शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी के पुत्र मोहम्मद फैजान का दाखिला वर्ष 2016–17 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कैम्पस स्कूल, पंतनगर में किया गया था। कैम्पस स्कूल के प्रधानाचार्य श्री बी0सी0 पाठक तथा उपशिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा प्रार्थी के मुस्लिम कुंठा के कारण किसी न किसी बहाने से प्रार्थी के पुत्र को मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। दिनांक 25.10.2019, को प्रधानाचार्य द्वारा प्रार्थी के पुत्र की पिटाई कर घर भेज दिया गया तथा प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार कर पुत्र को अनुशासनहीनता के कारण निलंबित कर दिया गया, जिसका स्पष्ट उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया। प्रार्थी के पुत्र को शिक्षा से वंचित रखकर भविष्य खराब किया गया है, जिस हेतु प्रार्थी के पुत्र का कक्षा–8 में प्रवेश दिये जाने के साथ–साथ प्रधानाचार्य के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा छात्र के भविष्य के दृष्टिगत छात्र की टी0सी0 में संशोधन करते हुए छात्र का राजकीय विद्यालय में कक्षा–8 में प्रवेश दिये जाने के साथ–साथ प्रकरण में जांच समिति का गठन करते हुए जांच आख्या 15 दिन के अन्दर मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर एवं निदेशक, प्रा0शिक्षा विभाग, देहरादून को दिये गये, जिसके अनुपालन में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 ऊधमसिंहनगर द्वारा प्रार्थी के पुत्र की टी0सी0 संशोधित कराते हुए पुत्र का विद्यालय में दाखिला करा दिया गया है, जिससे प्रार्थी द्वारा मा0 आयोग का आभार व्यक्त किया गया।

- **श्री अनीस अहमद, पुत्र श्री सगीर अहमद, निवासी–वार्ड नं0–5 अमरूखुर्द, इस्लामनगर, डाकघर, खटीमा, जिला ऊधमसिंहनगर के शिकायती प्रकरण का विवरणः–**प्रार्थी/शिकायतकर्ता द्वारा मा0 आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी राशन कार्ड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.07.2024 को पूर्ति निरीक्षक कार्यालय खटीमा गया था। कार्यालय में सेवारत लिपिक श्री परवीन से जानकारी चाहने पर उक्त लिपिक द्वारा प्रार्थी के साद बदसलूकी कर कार्यालय से बाहर जाने का कहा, प्राथ्री द्वारा कारण पूछे जाने पर उक्त लिपिक द्वारा अभद्र व्यवहार कर टीका–टिप्पणी की गयी, जिससे प्रार्थी अत्यन्त मानसिक रूप से परेशान है, जिस हेतु तत्काल गहनता से जांच कर उक्त लिपिक श्री परवीन के विरूद्ध उचित प्रभावी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा त्वरीत कार्यवाही कर जांच आख्या मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर को दिये गये, जिसके अनुपालन में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, खटीमा द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रवीन सिंह देव को कारण बताओं नोटिस जारी कर तत्काल लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देशो के अनुपालन में संबंधित कार्मिक द्वारा उव दिन के घटना क्रम से अवगत कराते हुए विश्वास दिलाया कि भविष्य में स्वयं पर पूर्ण संयम रखते हुए किसी भी घटना की पुनर्रावृत्ति नहीं की जायेगी, इस हेतु कार्मिक को चेतावनी भी जारी की गयी है कि किसी भी दशा में कार्यालय स्तर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ उचित सौहादपूर्ण व्यवहार का अनुपालन किया जाये, जिससे शिकायतकर्ता सन्तुष्ट है।

- **श्रीमती नाज़मा, पत्नी स्व0 श्री हबीब, निवासी–इन्द्रानगर, दुर्गा मंदिर के पास, छोटी रोड़, हल्द्वानी–नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरणः–**प्रार्थिनी के प्रार्थना–पत्र के अनुसार प्रार्थिनी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की गरीब विधवा महिला है, जिसका राशन कार्ड संख्या CFY4026761 बना था। पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। घरों में झाड़ू बरतन व पोछा करके अपना

बच्चों को पाल रही है। प्रार्थिनी की दयनीय स्थिति है तथा किराये पर रहती है। प्रार्थिनी को गरीबों को राशन फ्री योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रार्थिनी पढ़ी–लिखी गरीब महिला है। राशन कार्ड विभाग के अधिकारी प्रार्थिनी की सुनवाई नहीं कर रहे है, जिस हेतु प्रार्थिनी द्वारा गरीबी रेखा का सफेद राशन कार्ड बनाये जाने हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगाई गयी है, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षार्थ त्वरित कार्यवाही कर प्रार्थिनी की समस्या का समाधान किये जाने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल को निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में खाद्य रसद अधिकारी, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ती श्रीमती नाज़मा के ऑनलाईन आवेदन के क्रम में कार्यवाही गतिमान है। एक सप्ताह के अन्दर समस्त कार्यवाही पूर्ण कर राशन कार्ड जारी कर दिया जायेगा, जिससे शिकायतकर्ती के द्वारा संतुष्ट होते हुए मा0 आयोग का आभार व्यक्त किया गया।

- **<u>डॉ0 अनबरीन मलिक, बी.डी.एस. (डेन्टल), बी–117, आवास विकास किच्छा, जनपद–ऊधमसिंहनगर के शिकायती प्रकरण का विवरणः–</u>** प्रार्थिनी के प्रार्थना–पत्र के अनुसार प्रार्थिनी द्वारा कोविड–19 से हो रहे संक्रमण की रोकथाम हेतु मानव संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 16.06.2021 को साक्षात्कार समिति के द्वारा दिये गये इन्टरव्यू में अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 28.02.2022 तक सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता, सितारगंज में सेवायें दी गयी थी, जिसका निर्धारित मासिक मानदेय रू0 40,000/–प्रतिमाह था। प्रार्थिनी को जनवरी, 2022 तक मानदेय मिला है, किन्तु फ़रवरी, 2022 का मानदेय अभी तक नहीं मिला है, जिस हेतु प्रार्थिनी द्वारा कई बार सूचित किया जा चुका है, किन्तु विभाग द्वारा आतिथि तक मानदेय नहीं दिया गया है, जिस हेतु प्रार्थिनी द्वारा मा0 आयोग से मानदेय दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षार्थ त्वरित कार्यवाही कर प्रार्थिनी की समस्या का समाधान किये जाने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर को दिये गये, जिसके अनुपालन में कार्यवाही कर अवगत कराया गया कि संबंधित दन्त चिकित्सकों को मानदेय का भुगतान किये जाने हेतु निदेशक, वित्त, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून से बजट की मांग की गयी है अथवा कार्यालय में मुख्यमंत्री राहत कोष के विभिन्न मानके मदों में अवशेष धनराशि के सापेक्ष दन्त शल्यकों के लम्बित मानदेय का भुगतान की अनुमति चाही गयी है, अनुमति प्राप्त होते ही प्रार्थिनी को माह फरवरी, 2022 का भुगतान करते हुए समस्या का समाधान कर दिया जायेगा।

- **<u>श्री जसवन्त सिंह, पुत्र श्री पूरन सिंह, निवासी–ग्राम झबरावाला, जनपद देहरादून के शिकायती प्रकरण का विवरणः–</u>**प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार अवगत कराया गया कि प्रार्थी की भूमि खाता खतौनी सं0–543 के भूमि खसरा नं0–2984/1 रकबा 0.024 है0 खसरा नं0–3001/1 रकबा 0.342 है0 कुल रकबा 0'348 है, फालगुजारी परत के अनुसार वसीयतकर्ता श्रीमती रतन कौर, पत्नी श्री पूरन सिंह के नाम खारिज कर वसीयतनामा श्री जसवन्त सिंह के नाम दर्ज है, इस सम्बन्ध में प्रार्थी अपने उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में जानकारी हेतु नायब तहसीलदार, देहरादून से सम्पर्क किया गया, किन्तु उनके द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। प्रार्थी की उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट जानकारी न मिलने से प्रार्थी अयत्न्त परेशान व मानसिक यातनाओं से गुजर रहा है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में कार्यवाही कर स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु मा0 आयोग से अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रकरण में उपजिलाधिकारी, की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन करते हुए संबंधित प्रार्थना–पत्र पत्र जांच कराते हुए जांच आख्या 15 दिन के अन्दर मा0 आयोग उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, देहरादून को दिये गये, जिसके अनुपालन में उपजिलधिकारी, डोईवाला द्वारा पत्र सं0–256 दिनांक 05.08.2024, मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि मा0 आयोग द्वारा दिये गये

निर्देशों के अनुपालन में जांच समिति का गठन करते हुए जांच समिति की जांच पूर्ण कर आख्या प्रस्तुत है जांच में प्रार्थी के उक्त पत्रावली/प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार, देहरादून के न्यायालय में वाद गतिमान है, जिसमें सुनवाई कर गुण–दोष के आधार पर जल्द से जल्द निर्णय पारित किये जाने हेतु अवगत कराया गया है तथा शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण किये जाने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा, जिसके दृष्टिगत मा0 आयोग द्वारा शिकायतकर्ता की हर सम्भव सहायता प्रदान कर समाधान किये जाने के निर्देश दिये गये।

- **मोहम्मद सलीम, पुत्र श्री नथ्थू, निवासी–इन्द्रानगर बड़ी मस्जिद, थाना–बनभूलपुरा, हल्द्वानी–नैनीताल की शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 01 माह पूर्व बैंक ऑफ बडौदा शाखा गांधी स्कूल हल्द्वानी से हॉम लान के लिए सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी का कैपिटल ट्रस्ट से रू0 73,969 की धनराशि का बिज़नेस लोन चल रहा है, जबकि प्रार्थी का ऐसा कोई लोन नहीं चल रहा था। प्रार्थी द्वारा उक्त ट्रस्ट के मैनेजर श्री राहुल से सम्पर्क कर लोन के बारे में जवाब चाहने पर कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। प्रार्थी इस हेतु बैंक व पुलिस में सूचना देने पर कोई कार्यवाही नही की गयी है, जिससे प्रार्थी अत्यन्त परेशान व मानसिक अवसाद का शिकार हो रहा है, जिस हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगायी गयी, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा प्रकरण में त्वरित संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल तथा लीड बैंक अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक, नैनीताल को संबंधि तमामले में अग्रेत्तर कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में लीड बैंक अधिकारी, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि कैपिटल ट्रस्ट, शाखा देवलचौड़, हल्द्वानी एक फाइनेन्स कम्पनी है तथा उनसे संबंधित कोई भी सूचना उनके कार्यालय में नहीं रहती है, वह आर0बी0आई0 के अन्तर्गत पंजीकृत तो है, किन्तु लीड बैंक अधिकारी कार्यालय में ऐसी सोशल फाईनेन्स कम्पनियों की कोई सूचना नहीं है, जिससे उन पर कोई स्वामित्व स्थापित नहीं हो पाता है, इसके सम्बन्ध में मा0 आयोग स्तर से समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया गया कि वह अपने–अपने जनपद में कार्यशील सोशल फाईनेन्स कम्पनी/संस्थाओं को अपनी संस्था को जिला अग्रणी बैंक, कार्यालय में पंजीकृत कराये अथवा रिपोटिंग किये जाने हेतु निर्देशित करें। पुलिस विभाग द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना–बनभूलपुरा में एफ.आई.आर. सं0–160/2024 धारा 420 भादवि0 बनाम कैपिटल ट्रस्ट बैंक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान कर मा0 आयोग को अवगत कराया गया।

- **श्री नवेद अहमद, पुत्र श्री इरशाद हुसैन, निवासी–जैन प्लॉट, वाणी विहार, अधोईवाला, रायपुर,देहरादून के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि श्री सुनील कुमार से 210 गज जमीन का अनुबन्ध दिनांक 21.09.2022 को किया था, जिसमें मु0 4,00,00/– रूपये बतौर बयाना में रू0 2,00,000/– चैक द्वारा तथा रू0 2,00,000/–रूपये की धनराशि कैश दिया था और एक दूसरे प्लॉट में मु0 4,00,000/– रूपये बयाना चैक द्वारा दिनांक 09.08.2022 को दिया था तथा 4 माह का समय लिया गया था, लेकिन उक्त व्यक्ति द्वारा प्रार्थी को उक्त दोनों में किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री न कर लगातार बहाने बनाता आ रहा है और अब उक्त व्यक्ति प्रार्थी को धमकी दे रहा है कि ना मैं तुझे पैसे दूगां और न ही जमीन दूगां, तुझसे जो हो वो कर ले। प्रार्थी को अशब्द बोलते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करता है। प्रार्थी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति है, जिस हेतु मा0 आयोग से समस्या का समाधान कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही करते हुए जांच आख्या 15 दिन के अन्दर मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस विभागी प्राप्त जांच

आख्यानुसार पुलिस विभाग को दोनों पक्षों का पक्ष सुनते हुए शिकायकर्ता की समस्या का समाधान किये जाने अथवा एफ.आई.आर. दर्ज कर मा0 आयोग को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।

- **श्री युनुस पुत्र श्री युसुफ, निवासी–वार्ड नं0–04, आजादनगर, टनकपुर रोड़, हल्द्वानी–नैनीताल के शिकायती प्रकरण का विवरणः–**प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी अल्पसंख्यक समुदाय का एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति है तथा प्रार्थी व प्रार्थिनी की पत्नी का कोई सहारा नहीं है मात्र सरकार द्वारा पेन्शन से ही गुजारा चलता है। प्रार्थी द्वारा गरीबी रेखा का राशन कार्ड हेतु आवेदन किया था। आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन विभाग द्वारा सफेद राशन कार्ड की जगह लाल राशन कार्ड हेतु आवेदन किया। विभाग के अधिकारी प्रार्थी की सुनवाई नहीं कर रहे है तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक से संबंधित होने के कारण भेदभाव किया जा रहा है, जिस हेतु मा0 आयोग से न्याय की गुहार लगायी गयी है, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा तत्काल प्रकरण में संज्ञान लेते हुए प्रार्थी की सफेद राशन कार्ड बनाये जाने संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रगति रिपोर्ट से मा0 आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल को दिये गये, जिसके अनुपालन में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा मा0 आयोग के समक्ष उपस्थित होते हुए मा0 आयोग से प्रकरण में अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने पर शिकायतकर्ता के प्रार्थना–पत्र के अनुसार अन्त्योदय अन्न योजना के कार्ड की औपचारिकताएं पूरी कर बनाये जाने की कार्यवाही किये जाने का आश्वासन देते हुए प्रार्थी की समस्या का समाधान किये जाने का आश्वासन दिया गया।

- **श्री युसुफ, पुत्र श्री हनीफ, निवासी–ग्राम घोसीपुरा, थाना–पथरी, पो0 अम्बुवाला, हरिद्वार के शिकायती प्रकरण का विवरणः–** प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी का विद्युत कनैक्शन सं0–LK91451112314 जो कि मेरे पिता जी स्व0 श्री हनीफ, पुत्र श्री हैदर के नाम से था तथा मेरे पिताजी का इन्तेकाल दिनांक 15.08.2017 को हो गया था, तब से विद्युत कनैक्शन उन्हीं के नाम पर चला आ रहा है। दिनांक 20.05.2019, को उपखण्ड अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान प्रार्थी का कनैक्शन काट दिया था एवं विभाग द्वारा ही उक्त कनैक्शन को प्रार्थी द्वारा बकाया राशि का कुल रू0 20,000/– धनराशि जमा कर दी गयी है, उसके उपरान्त विभाग द्वारा प्रार्थी पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया तथा विभाग द्वारा स्वयं प्रार्थी का कनैक्शन दिनांक 24.12.2023, को जोड़ दिया गया तथा वर्तमान में बार–बार प्रार्थी पर पूर्ण बिल जमा किये जाने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा उक्त कनैक्शन को प्रार्थी के नाम करवाये जाने एवं बकाया राशि दिनांक 24.12.2023, से आज तक का बिल प्रार्थी से जमा कराये जाने हेतु विभाग को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा प्रकरण में तत्काल संज्ञान लेते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के रक्षार्थ प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड लक्सर, हरिद्वार द्वारा को प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में उपलब्ध करायी गयी आख्या के दृष्टिगतग विभाग को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक अधिरोपित धनराशि का पुनः नियमानुसार निर्धारण करते हुए final assistment की धनराशि को किस्तों के रूप में जमा करवाते हुए शिकायतकर्ता की हर सम्भव मदद कर समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें।